

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25, रामगंगा विहार-प्रथम फेज, निकट सोनकपुर स्टेडियम, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष संख्या-0591-2450066)

पत्रांक 1890 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 9, जनवरी, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली द्वारा मुरादाबाद-रामपुर मार्ग (एन0एच0-09) कि0मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दाँयी पट्टी पर गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0-एफ0पी0/यू0पी0/पाइपलाइन/141464/2021)

सन्दर्भ:- सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक-2709/81-2-2022-800 (274)/2022 दिनांक 03-11-2022 जो इस कार्यालय को 23-11-2022 को प्राप्त हुआ है।

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित पत्र दि0 03-11-2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दि0 28-12-2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निम्नवत् किया गया है। अतः निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रमाण पत्रों की 4-4 प्रतियाँ मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को अवगत कराने का कष्ट करें:-

Condition No	Conditions	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-1)
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA Fund only through E-portal.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-2)
3	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-3)
4	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986 if applicable.	एच0पी0सी0एल0 बरेली को पर्यावरण अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-4)
6	No labour camp shall be established on the Forest Land.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-5)
7	Sufficient fire wood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the user agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest development corporation or any other legal source of alternate fuel.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-6)
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-7)
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. Of India.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-8)
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MOEF & CC Guide line F. no. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-9)
11	Any other condition that the ministry of environment, forests & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-10)
12	The compliance report shall be uploaded on E-portal (https://parivesh.nic.in)	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-11)
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-12)
14	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेंच की साइज की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-13)

o/c

15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-14)
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-15)
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-16)
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-17)
19	भूमि का सरफेस राइट्स नहीं दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-18)
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011 (प्रति संलग्न) में अंकित-02 बिन्दुओं में गैस पाइपलाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा 20 कि०मी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु जनपद बदायूँ के अन्तर्गत प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ में रु० 15730000/- जमा करा दिये गये हैं। रसीद की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-19)
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-20)
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-21)
23	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-आई०ए०-1।(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनुमति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	इस सम्बन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	अपेक्षित नहीं है।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98 एफसी, दि० 8-7-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-22)
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार उक्त परियोजना में अवशिष्ट उपलब्ध नहीं है, जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।
27	नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह की जारी अनुमति रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है।
28	प्रस्ताव विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के पल्लोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हर संभव उपाय करेंगे।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-23)
29	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-24)
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	एच0पी0सी0एल0 बरेली द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ मूल में संलग्न है। (संलग्नक:-25)

o/c

	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0 सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अनुसार निर्धारित धनराशि रु0-5,47,324/- का भुगतान ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से ई-चालान सं0- 72141464721 दि0 15-12-2022 UTR No- SBIN422356838355 dt 22-12-2022 के माध्यम से सीधे Union Bank of India, FSC Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers Mission Road, Bengaluru-560027 IFSC Code-UBIN0996335 में जमा की जा चुकी है। (ई-चालान की छायाप्रति संलग्न है।) (संलग्नक:-26)
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या में डी0एफ0ओ0 द्वारा प्रस्तावित स्थल आर0ओ0डब्लू0 से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रमाण पत्र की 4 प्रतियाँ संलग्न हैं (संलग्नक-27)।
33	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	नोडल स्तर से अपेक्षित है।
	CA amount as per Proposal	0/-
	CA amount deposited	0/-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	547324/-
	NPV amount deposited	547324/-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited-(Complete details be provided)	15730000/- -(20K.M 3Rows Plantation)
	CAMPA Confirmation	Online payment confirmatin Slip

संलग्नक:- 4 प्रतियाँ मूल में।


 भूपदीय
 (सूरज)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।

पत्रांक 1890 (1)/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विषयक कम में सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- श्री पी0 आनन्द विक्टर, उप महा प्रबन्धक, परियोजना, सी0जी0डी0 यू0पी0 कलस्टर, एच0पी0सी0एल0, शहरी गैस वितरण परियोजना, यू0पी0 एण्ड यू0के0 कलस्टर प्रथम एवं द्वितीय तल, महालक्ष्मी टावर्स 112 सिविल लाईन्स, बरेली-243001.
- 3- लेखा प्रभारी, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद।
- 4- क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुरादाबाद।


 (सूरज)
 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 मुरादाबाद।

ok



हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: पेट्रोलियम हाउस 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

REGISTERD OFFICE: PETROLEUM HOUSE, 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020

Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L2320 1MH1952GO1008858

राष्ट्रीय गैस वितरण परियोजना, यू. पी. एच यू. के. वास्टर प्रथम एवं द्वितीय चरण, महात्मा टॉवर, 112 विजित लॉन्गन, बरेली-243001 फोन: 0581-2422020, 2870180, मो.: 7409600090
City Gas Distribution, UP & UK Cluster 1st & 2nd Floor, Mahatma Towers, 112 Civil Lines, Bareilly - 243001, Tel.: 0581-2422020 2870180, Mob.: 7409600090



पत्रांक:- HPCL/CGD/BRP/101

Handwritten signature: D. Man...
Handwritten signature: P. Anand Victor
Handwritten date: 28/12/22

दिनांक:- 28/12/2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

विषय:- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बरेली, द्वारा वन प्रभाग मुरादाबाद के अन्तर्गत मुरादाबाद-रामपुर मार्ग (एन0 एच0 - 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दायाँ पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0- FP/UP/Pipeline/141464/2021)

सन्दर्भ:- सचिव उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक - भा0 स0 102/81- 2- 2022- 800(247)/2022 दिनांक 12.09.2022 एवं आपका पत्रांक 1524/14- 1 दिनांक 01.12.2022

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक भा0 स0 102/81- 2- 2022- 800(247)/2022 दिनांक 12.09.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, उ0 प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक भा0 स0 102/81- 2- 2022- 800(247)/2022 दिनांक 12.09.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के हेतु लिखा गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों की

Handwritten signature: P. Anand Victor

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

बिंदुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण- पत्रों की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करे।

क्र०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-1)
2	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या-03 के क्रम में Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।	शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि यदि लागू हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार पर्यावरण अनुमति उपलब्ध करायी जाये।	शर्त संख्या-4, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली को पर्यावरण की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता	शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उ0प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर श्रमिकों को उपलब्ध करायेंगे।	कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उ0 प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा। (संलग्नक-6)
8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।	शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी। (संलग्नक-7)

9	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-8)
10	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।	शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी। (संलग्नक-9).
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा। (संलग्नक-10).
12	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी।	शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी। (संलग्नक-11)
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता	शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे पर ही बिछाई जायेगी।	कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे पर ही बिछाई जायेगी।(संलग्नक-12)
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी० से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक-13)
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक-14)
16	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-15)
17	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व बनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व बनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-16)
18	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।(संलग्नक-17)
19	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति बचावत बना रहेगा।	शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति बचावत बना

Atk

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

		रहेगा। (संलग्नक-18)
20	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20कि०मी० तीन लाइनौ में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ० प्र० शासन पत्र सी० जी० आइ० -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी० तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु० को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-19)
21	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-20)
22	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-21)
23	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार के पत्र स०-5-3/2007 एफसी(पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र स०-j-1013/41/2006-IA-ii(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हो तो कार्य करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैन्डिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।	इस संस्मन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि यदि प्रश्रुगत भूमि सेंचुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करके कार्यवाही करली जायेगी।	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा प्रमाणित संरक्षित भूमि की पटरी सेंचुरी/नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है, जिस कारण इस संस्मन्ध में यह प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता	शर्त संख्या-25, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा फाइल में दर्शाया हो।	कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा फाइल में दर्शाया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (संलग्नक-22)
26	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित के जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।	उक्त परियोजना में अपशिष्ट उपलब्ध नहीं है जिस कारण मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र वांछित नहीं है।
27	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह से जारी अनुमति की रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	अपेक्षित नहीं है है।
28	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।	शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।(संलग्नक-23)
29	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा। किसी परियोजना हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।(संलग्नक-24)
30	उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।	शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी। (संलग्नक-25)
31	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि प्रस्तावित वन	सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादबाद के पत्र संख्या 1524/14- 1 दिनांक 01.12.2022 के अनुपालन में


 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

	भूमि 0.57145 है० का शुद्ध वर्तमान@957780 लाख प्रति है० की दर से रु० 5,47,324/- को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जायेगी।	परियोजना में प्रभावित हो रही 0.57145 है० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन० पी० वी०) की धनराशि 5,47,324/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है । जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है।(संलग्नक-26)
32	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृत की बिंदुवार अनुपालन आख्या में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृत प्रदान की जायेगी।	अपेक्षित नहीं है

Handwritten signature

(पी० आनंद विक्टर)

उप महाप्रबंधक -परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

पी. आनंद विक्टर

P. ANAND VICTOR

उप महाप्रबंधक - परियोजना

Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 01

शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।


प्रमुख निदेशक
राज्यीय वनिकी प्रभाग
मुंबई


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर बानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 02

शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धन राशि कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जा चुकी है, जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।


उप महाप्रबंधक
परियोजना प्रभाग
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 03

शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस Compliance report के साथ Complete Compliance of the FRA, 2006 का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।


 प्रमुख निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुरादाबाद
 ५६


 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक — परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 05

शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान मे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सानाधिक क्षेत्री प्रभाग
मुरादाबाद
क्ष


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 06

शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।


प्रभासीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
A


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 07

शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि उ0 प्र0 वन विभाग/वन निगम विधिक स्रोत से जलौनी लकड़ी/वैकल्पिक ईंधन क्रय कर को उपलब्ध कराया जायेगा।


प्रदेशीय निदेशक
संरक्षित वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
AS


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंदु विस्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 08

शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने की अवधि, लीज की अवधि अथवा परियोजना की अवधि जो भी कम हो तक होगी।



प्रदेशीय निदेशक
वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

Dr



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

P. ANAND VICTOR

उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 09

शर्त संख्या-9, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्तावित वन भूमि का किसी भी दशा में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

आदेश दिदेशक
सांख्यिकी प्रभाग
मुरादाबाद
AC

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 10

शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं करेगा यदि उल्लंघन किया गया तो MoEF and CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के अनुसार की गयी कार्यवाही मान्य होगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विहार
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 11

शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वन एवम वन्य जीव के संरक्षण/सुरक्षा एवम विकास के लिये समय समय पर जो भी अन्य शर्तें लगायी जायेगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सांवाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
श्री. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 12

शर्त संख्या-12, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या कैम्पा फंड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड कर दी जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विस्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 13

शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे पर ही बिछायी जायेगी।


प्रभासीय निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग
मु.रा.बा.द.



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विस्तर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 14

शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की गहराई 2.00 तथा चौड़ाई 1.00 मी0 से अधिक नहीं होगी।


प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 15

शर्त संख्या-15, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।



प्रभागीय निदेशक
मानविक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
१५



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद बिस्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 16

शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुंबई




अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंदु विक्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 17

शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
१५


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंदु बिहटर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 18

शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादित से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
१५


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 19

शर्त संख्या-19, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
Dr


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद बिस्वर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 20

शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ0 प्र0 शासन पत्र सी0 जी0 आइ0 -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी0 तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु0 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक 1511 /29-1

दिनांक 31 दिसम्बर/2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 और यू0के0 कलस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषय:- पी0एन0जी0 गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1036/5-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी0डी0 संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 मु0 15730000/- (मु0 एक करोड सत्तावन लाख तीस हजार रू0 मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक /5-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482/14-1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 21

शर्त संख्या-21, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद




अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 22

शर्त संख्या-22, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, उसकी प्रति संलग्न है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद बिस्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 25

शर्त संख्या-25, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-09/98- एफ़सी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा फाइल में दर्शाया है ,जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद
१४


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
P. ANAND VICTOR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 28

शर्त संख्या-28, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फ्लोरा / फाना संरक्षण के अंतर्गत हर सम्भव उपाय किया जायेगा।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विहार
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं - 29

शर्त संख्या-29, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य परियोजना के लिये नहीं किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विष्ट
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 30

शर्त संख्या-30, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त के अतिरिक्त समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र लखनऊ के अनुसरण के अधीन होगी।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आज़ाद-विक्टर
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बरेली, द्वारा मुरादाबाद- रामपुर मार्ग (एन0 एच0- 09) कि0 मी0 168.900 से 179.290 तक के मध्य दांयी पटरी पर गैस पाईप बिछाने हेतु 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

वचनबद्धता प्रमाण- पत्र बिंदु सं- 31

सामाजिक वानिकी प्रभाग मुरादाबाद के पत्र संख्या 1524/14-1 दिनांक 01.12.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.57145 है0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0 पी0 वी0) की धनराशि 5,47,324-/- ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा की जा चुकी है । जमा की गयी राशि की चालान की प्रति संलग्न है ।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

12/15/22, 4:43 PM

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2022

Agency Name.	Hindustan Petroleum Corporation Limited
Application No.	72141464721
MoEF/SG File No.	2709/81-2-2022-800(274)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	SA 72/79, 1st Floor, DD Puram Bareilly
Amount(in Rs)	547324/-

Amount in Words Five Lakh Forty Seven Thousand Three Hundred and Twenty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072141464721 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2022

Agency Name.	Hindustan Petroleum Corporation Limited
Application No.	72141464721
MoEF/SG File No.	2709/81-2-2022-800(274)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	SA 72/79, 1st Floor, DD Puram Bareilly
Amount(in Rs)	547324/-

Amount in Words Five Lakh Forty Seven Thousand Three Hundred and Twenty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072141464721 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

(Signature)

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR

forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCopy.aspx?oldid=RTGS1414642021721

उप-निर्देशक - पर्यावरण
Deputy General Manager - Projects

U

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/141464/2021 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/141464/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of HPCCL Gas Pipe Line NH-09 Moradabad-Rampur Road, Distt- Moradabad, under City Gas distribution project	PIPELINE1414642021721	72141464721	03 Nov 2022	CA: 0/-, Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 547324/- Other Charges 0/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 547324/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 15 Dec 2022 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 15 Dec 2022 Transaction Date 22 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/141220221939237033_FPUPPipe) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=f
2	FP/UP/Pipeline/141900/2021 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/141900/2021) Proposed Forest Land to be diverted for Laying of Gas Pipe Line along Bareilly to Moradabad Road, NH-24 (Ch. 22.7 to 60.5 and PWD Road 0.0 km to 5.95 Km) for approx 43.75 KM in Distt- Rampur UP	PIPELINE1419002021567	72141900567	21 Apr 2022	CA: 0/-, Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 2304611/- Other Charges 0/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 2304611/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 15 Jul 2022 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 01 Aug 2022 Transaction Date 02 Aug 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/150720221137315604_FPUPPipe) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=f



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessiblitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EECID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Ante
 पी. आनंद विक्टर
 P. ANAND VICTOR
 उप महाप्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

प्रमाण-पत्र (बिन्दु सं०-32)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, बरेली द्वारा मुरादाबाद-रामपुर मार्ग (एन०एच०-०९) कि०मी० 168.900 से 179.290 तक के मध्य दायी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.57145 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तावित स्थल आर०ओ०डब्लू० से आच्छादित है।



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।



Inbox x

11:46 AM (2 minutes ago)



Pls find the attached UTR nos. for transaction.

TO TRANSFER

22-Dec-22 (22-Dec-

UTTAR PRADESH CAMPA

2022)

NEFT UTR NO: SBIN422356838355 -TRANSFER TO

99506044303

TRANSFER TO 9950604303 / UTTAR

PRADESH CAMPA.

125

5,47,324.00

Regards

Chetan Sharma

** Please note the change of email id to Chetan.Sharma@hpcl.in **

This e-mail message is only to be used by intended recipients and all others may kindly delete it and notify the sender. Unless expressly authorized by HPCL, the views expressed and the message itself is that of the individual sender and recipients are cautioned to check

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)



प.क्रि.ई.-मुरादाबाद, ई-26, सेक्टर-14, निकट ब्राइट स्टार हॉस्पिटल, नया मुरादाबाद (दिल्ली रोड), मुरादाबाद-244 002 (उ.प्र.)
PIU - Moradabad, E- 26, Sector-14, Near Bright Star Hospital, New Moradabad (Delhi Road), Moradabad-244 002 (U.P.)
Tel.: 0591 2453070 E-mail: mor@nhai.org, pdnhaimoradabad@gmail.com
14011/2/2019/HPCL Gas/NH-9/PIU-MBD 23477

To,

Date: 24.12.2021

Sh. Dharmpal Gupta
General Manager - Projects,
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.,
City Gas Distribution, UP & UK Cluster,
1st & 2nd Floor, Mahalaxmi Towers, 112 Civil Lines,
Bareilly - 243001.

Sub: - Four Laning of Moradabad-Bareilly Road section of NH-24 from Km. 148.400 to Km. 262.000 in the state of Uttar Pradesh under NHDP Phase III on DBFOT basis - *Proposal for permission for laying proposed 10" Natural Gas Pipeline with OFC along/across NH-09 (Old NH-24) from Dilari to Mansurpur from Km. 168.050 to Km. 181.130 & two crossings at Ch. 181.130 and Ch. 189.240 in District Rampur in the state of Uttar Pradesh - reg.*

- Ref: - (i) M/s HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/118 dated 17.10.2020.
(ii) M/s HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/120 dated 27.10.2020.
(iii) M/s HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/137 dated 26.11.2020 -
(iv) PIU Moradabad letter no. 21793 dated 11.01.2021
(v) HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/142 dated 05.04.2021.
(vi) PIU Moradabad letter no. 22914 dated 02.07.2021
(vii) RO-West, UP letter no. 1086 dated 09.12.2021
(viii) PIU Moradabad letter no. 23429 dated 16.12.2021
(ix) HPCL letter no. HPCL/CGD/BLY/162 dated 17.12.2021

Sir,

This is in reference to the letters cited above (i), (ii), (iii) & (v) on the subject proposal.

2. In this regard, the NOC is hereby granted based on the compliances submitted vide your letter under reference (ix) for execution of the said work subject to strictly following the conditions laid down in the agreement for the purpose.

3. Moreover, it is requested to submit the following before commencement of work:

- (i) Extension of performance Bank Guarantee for one year as per clause no. 19 of agreement since the performance Bank Guarantee furnished is valid till 31.03.2022 only.
(ii) As per your letter under ref. (ix), the NOC of forest department is still awaited. However, it is advised to commence the subject work upon obtaining necessary clearance from forest department to avoid future litigation and thereafter a complete work programme in line with clause no. 26 of agreement be furnished to this office.

4. The Copy of the signed agreement dt. 24.12.2021 is enclosed herewith for further necessary action.

Yours faithfully,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद

(Rakesh Kumar Sood)
GM (T) cum Project Director

Page 01 of 02

For HPCL CGD Bareilly
9448458282

प. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

Copy to: -

- (i) The Regional Officer West-UP, Lucknow – for information in response to letter under ref. (vii) Please.
- (ii) Independent Engineer, M/s LASA Pvt. Ltd., Rampur – for ensuring strict compliance to the conditions mentioned under approval letter dated 16.12.2021 & agreement dated 24.12.2021 and to have close co-ordination with executing agency of cited works.
- (iii) Concessionaire, M/s Moradabad Bareilly Expressway Ltd. – for ensuring strict compliance to the conditions mentioned under approval letter dated 16.12.2021 & agreement dated 24.12.2021 and to have close co-ordination with executing agency of cited works.


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिनी प्रभाग
मुरादाबाद



पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक – परियोजना
Deputy General Manager - Projects



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.37/Schedule-D

29th March 2019

To,
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculla,
Mumbai - 400008

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorisation to Hindustan Petroleum Corporation Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts (GA 10.37).

Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 50 crore vide your letter dated 28.03.2019, as per the requirement under Regulation 10 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of **Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts** in duplicate.

2. The tariff applicability is as per the Judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.

3. You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.

4. The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

Yours faithfully,

Encl: As above

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मुरादाबाद

तेजपाल सिंह चुंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
 प्रबंधक - गैस विभाग
 Manager - Gas Division



श्री. आनंद विक्टर
ANAND VICTOR

उप प्रबंधक - परियोजना
 Deputy General Manager - Projects

Arvind Kumar
 (Additional Adviser)

अतिरिक्त सलाहकार
ARVIND KUMAR
 अतिरिक्त सलाहकार
 (Additional Adviser)
 प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR
उप महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

To

**Hindustan Petroleum Corporation Limited,
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculla,
Mumbai – 400008**

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorization for laying, building, operating or expanding CGD network in the authorized area of Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts in the State of Uttar Pradesh under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

Sir,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorisation for laying, building, operating or expanding the City Gas Distribution (CGD) network in **GA-10.37 (Bareilly (Except area already authorized) District, Pilibhit and Rampur Districts)** in the State of **Uttar Pradesh**, it has been decided to grant you the authorisation subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions, namely:-

1. The Authorised Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of 9886 square kilometer and as depicted in the enclosed drawing or map,
2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network shall commence immediately after the issuance of this authorisation.
3. The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below:

TEJ PAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



ARVIND KUMAR

[illegible]

Handwritten signature

पी. आनंद विक्टर

P. ANAND VICTOR

सहायक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

Serial Number	Description of work	Numbers
1	Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation	140
2	Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation	145000
3	Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation	1200

The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)		Inch-km of steel pipeline (cumulative)	
By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program
1 st	Nil	1 st	Nil	1 st	5
2 nd	10	2 nd	15	2 nd	20
3 rd	20	3 rd	30	3 rd	40
4 th	30	4 th	45	4 th	60
5 th	40	5 th	60	5 th	70
6 th	60	6 th	75	6 th	80
7 th	80	7 th	90	7 th	90
8 th	100	8 th	100	8 th	100

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

4. Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the work programme shall lead to consequences as specified under regulation 16.

5. The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorised area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipment and facilities in the CGD network depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.

प्रभागीय निदेशक

प्रभाग

Handwritten signature
तेजपाल सिंह चुंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



अरविंद कुमार
ARVIND KUMAR
अधीक्षक प्रभाग
गैस विभाग
वोल्यूम & प्रेशर गैस रेगुलैटरी बोर्ड
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नई दिल्ली - 110001
Babar Road, New Delhi-110001

Handwritten signature

पी. आनंद विक्टर
उप महाप्रबंधक - परियोजनाएँ
Deputy General Manager - Projects

6. The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate the domestic customer on the following manner, namely: -

- (a) the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;
- (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
- (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) above multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

7. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following, namely:

- (a) 300 months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) 96 months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

Handwritten signature
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वाणिज्य प्रभाग
Handwritten signature
ARVIND KUMAR
उप महाप्रबंधक
Additional Adviser
संयुक्त राज्य अमेरिका में गैस वितरण के क्षेत्र
American & Mexican Gas Regulatory Board
1st Floor, World Trade Center
40 Wall Street, New York - 10007
USA

Handwritten signature

पी. आनंद विहतर

Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

उप. महाप्रबंधक - परियोजना
Deputy General Manager - Projects

8. The authorised entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilisation of funds. And, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.

9. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of two hundred and seventy days from the date of authorisation issued by the Board under regulation 10.

10. The entity shall publish on its website the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in the authorised area as per the following table namely: -

Serial Number	Description	Rate
1	Transportation rate for CGD - in rupees per million British Thermal Unit (Rs./MMBTU) for the first contract year	30
2	Transportation rate for CNG - in rupees per kilogram (Rs. /kg) for the first contract year	2

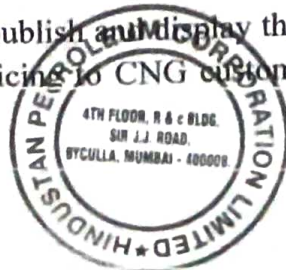
Note - Annual escalation shall be considered from the second contract year and onwards based on the "Wholesale Price Index (WPI) Data (2011-12 = 100)" for "All Group / Commodity", as normally available on the website of the Office of the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on the link "<http://caindustry.nic.in/home.asp>."

प्रभागीय निदेशक

11. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs. / MMBTU.

12. The entity shall publish and display the retail selling price of natural gas for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs. / Kg at all natural gas dispensing stations.

तेजपाल सिंह चुंडवत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager, Gas Division



असिस्टेंट डायरेक्टर
ARVIND KUMAR
असिस्टेंट डायरेक्टर
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board

Handwritten signature

पी. आनंद विक्टर
P. ANAND VICTOR

उप-प्रबंधक, परियोजना
Deputy General Manager, Projects

13. The furnishing of performance bond of Rs. ~~500 Million~~ is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed work programme in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.

14. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.

15. In case the authorisation of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.

16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original.

Yours faithfully,

Dated:

Handwritten signature
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वित्तीय प्रभाग
मुरादाबाद
Handwritten signature

Handwritten signature
29/01/2018

Name and Designation of Officer
On behalf of the PNGRB

Handwritten signature
तेजपाल सिंह चंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



Official Seal

अतिरिक्त सलाहकार
ARVIND KUMAR
अपर सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
नगर, लोक, नई दिल्ली - 110001
Connaught Place, New Delhi-110001

**GEOGRAPHICAL AREA
BAREILLY (EXCEPT AREA ALREADY
AU"ORIZED), Pilibhit and Rampur
DISTRICTS**

KEY MAP



Total Geographical Area Sq (km)	9,886
No. of Charge Areas	15
Total Household	12,06,337
Total Population	75,14,650

CHARGE AREA NO.	NAME	CHARGE AREA ID	NAME
CA-01	Tanda	CA-09	Aonla
CA-02	Swar	CA-10	Fareedpur
CA-03	Rampur	CA-11	Nawabganj
CA-04	Shahabad	CA-12	Pilibhit
CA-05	Milak	CA-13	Bisalpur
CA-06	Bilaspur	CA-14	Purpur
CA-07	Bahedi	CA-15	Misergani (Part)

LEGEND

VECTOR

- DISTRICT BOUNDARY
- TOWN
- RAILWAY WITH POPULATION
- RAILWAY
- NATIONAL HIGHWAY
- STATE HIGHWAY
- RAILWAY
- STATE BOUNDARY
- DISTRICT BOUNDARY
- CHARGE AREA BOUNDARY
- WATER BODY
- AREA EXCLUDED
- INDUSTRIAL AREA

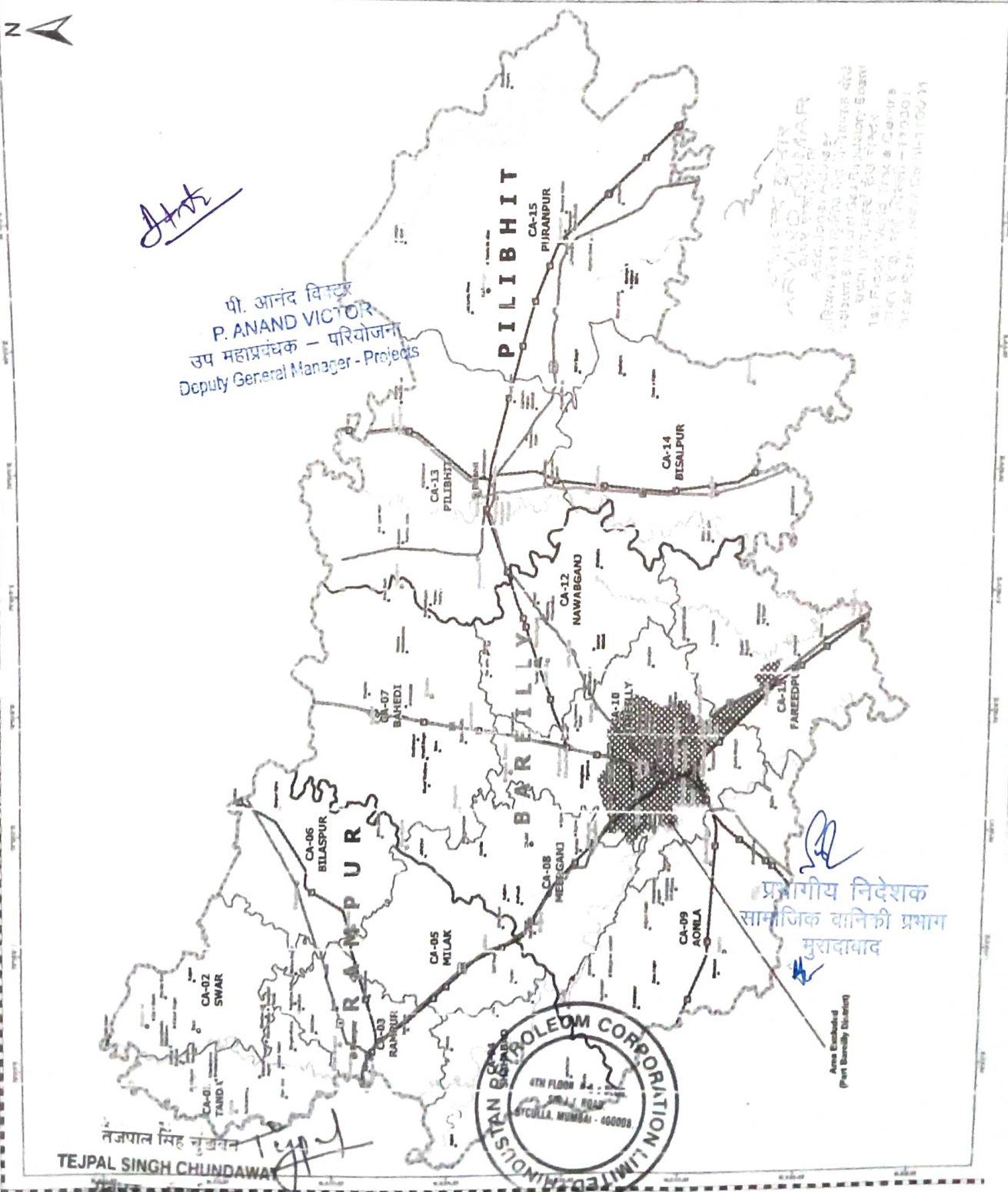
LANDMARK

- RAILWAY STATION



PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
For New, Renewal, Extension, Alteration, etc. (New Date 1988)

Map No. 1258/1337
Date: Nov-18
Map 11 is published from Bareilly District is already authorized.
Pilibhit and Rampur Districts



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक 1511 /29-1

दिनांक 31 दिसम्बर/2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 और यू0के0 कलस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषय:- पी0एन0जी0 गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 1036/5-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी0डी0 संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 मु0 15730000/- (मु0 एक करोड सत्तावन लाख तीस हजार रू0 मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक /5-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482/14-1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।